

शांकेमुभी-249-उनिशाकेमुभी-17-7-14-5,00,000.

विषय: परिक का (अव कार्म परीका 2012 परी के विभाग के रहीका परिवात नित्त वार्व अवन 2000 nl प्रमात के केंग्रस के 3/10 प्रशामिक काडमावन जाह किया कापा से मिल्यु पिटीशन दाया कार्न की कड़करी हेड कारने विका विभाव का के दिन मार्च देर प्रास्त 31. 37 (Bragner- 41) A mamanu त्रदेवा विश्व विभाग को अस्म माने हेन 1023/19(17)115 विस् प्रमण मध्यप्रदेश शासन, परिवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल



विषय: परिवरं का प्रका अरोधि परिकार 2014 का विभाग 200 H -James a Com formate में किल्प यार्पका छारत नरेना चाहता र्ट , प्रतीक प्रमरण के को लेख के प्रथम-पृश्यक मानी के साथ शामकीय अध्वासा का रूपपट अविकास सर्व वित्राणीय आस्तारी महित में देरिया अपहराध कराये आने पर ही अमरकों का किराकरण किया जाना Rlanchel 5 - यंभव के लक्षा (रिक्रिक किल्डि) 6775V 3102 - Hrad, Caled 9/11/2015 algated Gora

का विभाग

छब्बीस-२ अचिवालय

विषय : परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के परीक्षा परिणाम निरस्त करने बाबत।

परिवहन आयुक्त से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक 14315/ 2015, 14346 / 15, 14888 / 15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31. 8.2015, 08.09.2015, 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमित चाही गई है। इस संबंध में प्रस्ताव विधि विभाग को भेजी गया था।

कृपया पूर्व पृष्ठ पर अंकित विधि एवं विधायी कार्य विभाग की टीप का अवलोकन करें। जिसमें लेख किया गया है कि विभाग जिन प्रकरणों में रिव्यू याचिका प्रस्तुत करना चाहता है, प्रतयेक प्रकरण के संबंध में पृथक-पृथक नस्ती के साथ शासकीय अधिवक्ता का स्पष्ट अभिनत एवं विभागीय आधारों सहित संक्षेपिका उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना संभव हो सकेगा।

अतः विधि विभाग द्वारा चाहे अनुसार प्रत्येक प्रकरण में पृथक-पृथक नस्ती के साथ शासकीय अधिवक्ता का स्पष्ट अभिमत एवं विभागीय आधारों सहित संक्षेपिका उपलब्ध कराने हेतु परिवहन आयुक्त को लिखा जाना उचित होगा।


त्दनुसार आदेशार्थ प्रस्तुत।

अ.अ. (tr 4 Age)

के वहामा तत्कान कि

प्रमुख मध्यप्रदेश शास

(एस.एन



याचिका कमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका विषयुक्तमांक 14346 / 15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका कमांक 14888 / 15 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरूद्ध की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

पंजी कमांक 796 / 16 दिनांक 17.2.2016 परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्राप्त।

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन करें। परिवहन आयुक्त से प्राप्त पत्र में याचिका कमांक 14345/ 015, 14346/15, 14888/15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत घुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08. 9.2015, 10.09.2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयुष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.1.2016 की प्रति संलग्न की है। प्रकरण के संबंध में अलग–अलग प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः विधि विभाग की 4/एन पर अंकित टीप अनुसार याचिका कमांक 14345/2015, 14346/15, 14888/15 अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08.09.2015, 10.09.2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयुष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भेजे जाने हेतु संक्षेपिका सहित प्रस्तुत।

7/03/26/6

कृषमा तत्काल भ्रम मे

15 3 2016

4/1



छब्बीस-२ सचिवालय

विषय :

याचिका कमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका/ कमांक 14346/15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका कमांक 14888 / 15 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा.उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।

प्रकरण के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय से चर्चा की गई। परिवहन आयुक्त से प्राप्त पत्र में याचिका क्रमांक 14345/ 2015, 14346 / 15, 14888 / 15 श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08. 09.2015, 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयुष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.1.2016 की प्रति संलग्न की है।

अतः विधि विभाग की 4/एन पर अंकित टीप अनुसार याचिका कमांक 14345/2015, 14346/15, 14888/15 अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी, श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08.09.2015, 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति के संबंध में श्री पीयुष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा.उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमति हेतु नस्ती विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भेजे जाने हेतु संक्षेपिका सहित प्रस्तुत।

का विभाग

24-3-20/6

मध्यप्रदेश शासन, परिव मंत्रालय, भोप

636

शाकेमुभी-369-डिन्शिकेमुभी-22-9-15-5,00,000.

मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग

:: संक्षेपिका ::

विषय: — याचिका कमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका कमांक 14346/15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका कमांक 14888/15 विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.09.2015 के विरुद्ध की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति बाबत।


--00---

परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा याचिका क्रमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका कमांक 14346/15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका कमांक 14888/15 विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 के विरुद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अनुमति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया। याचिका में विभाग में पदस्थ श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत रघुवंशी एवं श्री पंकज शुक्ला परिवहन आरक्षक जिनके विरूद्ध व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की चयन परीक्षा की लंबित एसटीएफ की जांच के फलस्वरूप परिवहन आयुक्त कार्यालय के आदेश कमांक 3957 / प्रवर्तन / टीसी / 2015 दिनांक 12.8. 2015 के द्वारा उक्त परिवहन आरक्षकों को सेवा से पृथक किया गया था, के विरुद्ध दायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 31.8. 2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 को आदेश पारित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर के सेवापृथक आदेश दिनांक 12.8.2015 को खारिज (set aside) करते हुए विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये है। याचिका कमांक 14345/15, 14346/ एवं 14888 / 15 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 8.09. 2015 एवं 10.09.2015 के परीक्षण उपरांत प्रकरण में श्री पियूष धर्माधिकारी, शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर से दिनांक 18.1.2016 को अभिमत प्राप्त किया गया। शासकीय अधिवक्ता द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु अभिमत दिया गया है। विधिमत के अनुक्रम में शासन विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यू पिटिशन दायर किया जाना अति आवश्यक है।

परिवहन आयुक्त द्वारा याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8. 2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 की प्रति एवं शासकीय अधिवक्ता के विधिमत की प्रति संलग्न कर प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन/विभाग की ओर मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमित चाही गई है।

अतः परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव तथा शासकीय अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के अभिमत अनुसार विविध याचिका कमांक 14345/2015 अनुराग ठाकुर, याचिका कमांक 14346/15 हेमंत रघुवंशी एवं याचिका कमांक 14888/15 विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 8.09.2015 एवं 10.09.2015 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अनुमति प्राप्त करना उचित होगा।

अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग



विधि / तत्काल / ईमेल

i	कार्यालय, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
	क्मांक 485% विधि / टीसी / 2015 प्रति. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लम भवन भोपाल म0प्र0
	विषय – याचिका कमांक 14345/2015 श्री अनुराग ठाकुर एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य याचिका कमांक 14346/2015 श्री हेमंत रघुवंशी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य तथा याचिका कमांक 14888/2015 श्री पंकज शुक्ला एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.15 के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर करने हेतु अनुमति विषयक।
	18 09 15
	विषयंकित याचिकार्य विभाग में पदस्थ उन आरक्षको जिनके विरुद्ध व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की चयन परीक्षा की लंबित एसटीएफ की जॉच के फलस्वरूप विभाग द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12.08.15 के द्वारा सेवा से पृथक किया गया था, के विरुद्ध वायर की गई है। जिसमें प्रारंभिक सुनवाई में ही मान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.15, 08.09.15 एवं 10.09.15 को पारित आदेश से विभागीय सेवा पृथक आदेश दिनांक 12.08.15 को खारिज (Set aside) करते हुये विभाग को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश दिये हैं। याचिका कमांक 14345/15 में मान, उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 31.08.15 के परीक्षण उपरांत संदर्भित विधिमत में शासकीय अभिमाषक द्वारा आदेश के विरुद्ध शासन (विभाग) की ओर से रिव्यु पिटिशन वायर किये जाने का विधिमत दिया गया है, याचिका कमांक 14346/15 तथा 14888/15 समान प्रकार की है। शासकीय अभिमाषक द्वारा संदर्भित विधिमत के अनुक्रम में शासन/विभाग की ओर से रथगन आवेदन सहित रिव्यु पिटिशन दायर किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रकरण में विषयांकित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08. 15, 08.09.15 तथा 10.09.15 की छायाप्रतियाँ याचिकाओं की संपूर्ण प्रतियों की छायाप्रति एवं शासकीय अभिमाषक के संदर्भित विधिमत की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण में विधिमत अनुसार शासन (विभाग) की ओर से उक्त आदेश के विस्कृद रिव्यु पिटिशन दायर करने की अनुमित समयसीमा में प्रदान करने का कष्ट करें। (परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)
	Lev .
	सलग्न :- उपरोक्तानुसार अपर परिवहन नायुक्त (प्रशा.) — मध्यप्रपश पृकमांक/विधि/टीसी/2015
	प्रतिलिपि:— 1. संभागीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर की ओर, आपको उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रिव्यु पिटिशन दायर किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अति. महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से संपर्क कर शासन/विभाग की ओर से स्थगन आवेदन सहित रिव्यु पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शासन स्वीकृति की प्रत्याशा में दायर करें, तथा रिव्यु पिटिशन की छायाप्रति कृत कार्यवाही के प्रतिवेदन सहित शासन एवं इस कार्यालय को प्रेषित करें। 2. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
	2. अपर पारवहन आयुक्त (प्रवतन) मध्यप्रदश न्यालयर का आर सूचनाच एक वानरका राज्य
1	अपर प्रिका आवशा (प्रशा.) विकास तेला का मार्ग प्रशा.) विकास विका
1.7	mately son)

ENMENT ADVOCATE



Office : 2678740 : 2621216

D. O. No. . . .

OFFICE OF THE ADVOCATE GENERAL MADHYA PRADESH, JABALPUR JABALPUR

MADHYA PRADESH

To,

- The Principal Secretary, 1. Govt. of M.P., Law & Legislative Affairs Department, Vindhyachal Bhawan, Bhopal.
- The Principal Secretary, 2. Govt. of M.P., Department of Transport, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.
 - The Transport Commissioner, Gwalior.

Opinion in W.P. NO. 14345/15-Anurag Thakur V/s State of MP & Others. Sub :-

Please find enclosed herewith the copy of order passed by the Hon'ble High Court in the above petition.

In my opinion, it is a fit case to file review.

Encl.:- As above.

(PIYUSH DHARMADHIKARI)

मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 3 932 / 3992 / 2015 / आठ प्रति,

भोपाल, दिनांक /8नबम्वर, 2015

परिवहन आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर।

विषय :- याचिका कमांक 14315/2015, 14346/2015 एवं 14888/15 द्वारा श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत ठाकुर एव श्री पंकज शुक्ला, विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य। संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 4859/विधि/टीसी/15 दिनांक 26.09.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। याचिका कमांक 14315/2015, 14346/2015 एवं 14888/15 द्वारा श्री अनुराग ठाकुर, श्री हेमंत ठाकुर एव श्री पंकज शुक्ला, विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2015, 08.09.2015 एवं 10.09.2015 के विरूद्ध रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमति हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा लेख किया गया है कि विभाग जिन प्रकरणों में रिब्यू पिटीशन प्रस्तुत करना चाहता है, प्रत्येक प्रकरण के संबंध में पृथक-पृथक नस्ती के साथ शासकीय अधिवक्ता का स्पष्ट अभिमत एवं विभागीय आधारों सहित संक्षेपिका उपलब्ध कराये जाने पर ही प्रकरणों का निराकरण किया जाना संभव हो सकेगा।

2/- कृपया प्रकरणों में रिब्यू पिटीशन दायर करने की अनुमित के संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा चाहे अनुसार पृथक-पृथक प्रस्ताव शासकीय अधिवक्ता का अभिमत सिहत तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

> (नीलू मरकाम) अवर सचिव

मध्य प्रदेश शांसन, परिवहन विभाग

m

Page 1054

27 my My Dely

विधि / तत्काल / ईमेल

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्मांक 960 / विधि / टीसी / 2016

ग्वालियर दिनांक 11-2-16

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म०प्र0

मध्य प्रदेश शासन परिवहक विभाग

 याचिका क्मांक 14345/2015 श्री अनुराग ठाकुर एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य,

 याचिका क्मांक 14346/2015 श्री हेमंत रघुवंशी विरुद्ध मध्यप्रंदेश शासन एवं अन्य

याचिका क्मांक 14888 / 2015 श्री पंकज शुक्ला एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश

4. याचिका कमांक 15034/2015 श्री दीपक उपाध्याय विरूद्ध मध्यप्रदेश किन्य के कि

5. याचिका कमांक 16293/2015 श्री मनमोहन रघुवंशी

6. याचिका क्रमांक 17548/2015 श्री मनोज कौल

7. याचिका क्रमांक 19058/2015 श्री साहब बहादुर सिंह शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध शासन की ओर से रिव्य पिटिशन दायर करने हेतु।

संदर्भ:-

श्री पीयूष धर्माधिकारी शासकीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का विधिमत दिनांक 18.01.2016

विषयांकित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध शासन/विभाग की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने हेतु अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग भोपाल का पत्र क. 3932/3992/15/आठ भोपाल दिनांक 18.11.15 के अनुकम में संदर्भित विधिमत की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार विषयांकित याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध शासन/विमाग की ओर से रिव्यू पिटिशन दायर करने की अनुमित प्रदान करने का कष्ट करें।

र्भाः - उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश

क्रमांक 🦻 प्रतिलिपि:-

..../विधि/टीसी/2016

ग्वालियर दिनांक

1. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

2. संभागीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर की ओर आपके पत्र क. 4001/उ.प.अ./15 कैम्प छतरपुर दिनांक 29.01.16 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

परिवहन आयुक्त 🖫 मध्यप्रदेश

Principal Secretary (To



MADHYA PRADESH

oom C/B

MADHYA PRADESH JABALPUR

JABALPUR

170100

January 18th, 2016

To.

The Divisional Dy. Transport Commissioner, Division Jabalpur, (M.P.).

Sub :-

Opinion with regard to the order dated 24.9.2015 in W.P. No.

16293/2015 and other identical petitions.

Your letter dated 18.01.2016 No. 206/S.U.P.A./2016


पारिवहनं आयुक्तं मध्यप्रवेश Sir,

Please referred to your above mentioned letter whereby you have sought opinion with regard to filing of Review Petition in reference to the order passed in the Writ Petition as mentioned in your letter. That I have perused the orders passed in the respective writ petitions wherein the issue raised by the petitioners who were working as Transport Constable and their services were terminated by various impugned orders. That according to the petitioners the order of termination was bad in law since there was an allegation of major misconduct against the petitioner involving moral turpitude and without any show cause or enquiry but order being stigmatic in nature was bad in law. That the Division Bench of this Hon'ble Court after hearing the parties to the petition has held that the order is bad in law since the same has been passed without holding any enquiry and keeping in view the fact that the same is stigmatic and there is an allegation of major misconduct involving moral turpitude.

That after perusing the order passed by the Hon'ble Court and the record of the writ petition in my considered opined the review petitions can be preferred on the following grounds:-

(a) That the petitioner were appointed on Transport Constable and were on probation and thus there was no requirement of

जिल्ली टाइस्स (परिवहन वायुक्त) सामक कर्माक १८२२-१२ 6



Petitioners:

22159 22159

- 1. ANURAG THAKUR, S/O HARGYAN SINGH
 THAKUR, NEW TELEPHONE EXCHANGE
 COLONY BHERUPURA ROAD BERASIA
 BHOPAL M.P.
 - 2. DHARMENDRA THAKUR S/O MOHAN
 THAKUR K/O LIG 8 NERA POLICE
 GROUND NEHRU NAGAR BHOPAL M.P.
 - 3. RAJKUMAR JATAV S/O KASHIRAM JATAV

 R/O VILLAGE BAMANPURA ATER BHIND

 DISTRICT BHIND
 - 4. YUSUF KHAN S/O IQBAL KHAN R/O
 H.NO.168 GEETA BHAWAN GULAB BAG
 BHIND, DISTRICT BHIND.


VERSUS

- 1. STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH
 PRINCIPAL SECRETARY TRANSPORT
 DEPARTMENT, MANTRALAYA VALLABH
 BHAWAN BHOPAL (MP) 462011
- SPECIAL TASK FORCE HEADQUARTER
 JAHANGIRABAD BHOPAL, 462008
- 3. DIRECTOR M.P. VYAVASAYIK PARIKSHA

 MANDNAL, CHAYAN BHAWAN, CHINAR PARK

 (EAST) MAIN ROAD NO.7 BHOPAL [M.P.]

 462011
- 4. TRANSPORT COMMISSIONER GWALIOR M.P.





BIGH COURT OF MADHYA PRADESH



ORDER SHEET

CASE	No201
CHUL	119111111111111111111111111111111111111

DATE OF THE
ORDER

ORDER

W.P.No. 14345/15

Anurag Thakur and ors. Vs. State of M.P. & ors

31.08.2015

Shri Amitabh Gupta, Counsel for the petitioners.

Shri Piyush Dharmadhikari, learned G.A.for the respondents/State.

With consent heard finally.

By filing this petition under Art.226 of the Constitution of India, the petitioners have called in question the order [Annexure P-3A, P-3B, P-3C and P-3D] dated 12.8.2015.


Briefly stated, the petitioners were appointed on the post of Constable [Transport Department]. On account of misconduct their services were terminated by the impunged orders stating therein that as they are involved in major misconduct involving moral turpitude their services cannot be continued.


Learned counsel for the petitioners submits that prior to passing of the impugned orders a show cause notice was issued of which reply was filed by the petitioners denying the allegation but without holding any enquiry about the same, the services of the petitioners have been terminated by impugned stigmatic orders.


Piyush Dharmadhikari, learned Shri











NTHE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

W.P. No. /2015

Petitioner:

HEMANT RAGHUVANSHI, AGED ABOUT 32
YEAR S/O SHRI ARJUN SINGH RAGHUVANSHI
R/O 156 HANUMAN COLONY GUNA DISTRICT
GUNA M.P.

VERSUS

Respondents:

- 1. STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH
 PRINCIPAL SECRETARY TRANSPORT
 DEPARTMENT, MANTRALAYA VALLABH
 BHAWAN BHOPAL (MP) 462011
- SPECIAL TASK FORCE HEADQUARTER
 JAHANGIRABAD BHOPAL, 462008
- 3. DIRECTOR M.P. VYAVASAYIK PARIKSHA

 MANDNAL, CHAYAN BHAWAN, CHINAR PARK

 (EAST) MAIN ROAD NO.1 BHOPAL [M.P.]

 462011
- 4. TRANSPORT COMMISSIONER GWAL OR M.P.

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE:

- (i) No. & Date of order: 39/19/1001/12/12/11 , dated 12/08/15
- (ii) Issued by- TRANSPORT COMMISSIONER, GWALIOR M.P.

Subject in brief: - The Petitioner is aggrieved with the order dated 12/08/15 whereby the services of the petitioner as transport constable [Parivahan